



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1369]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2009/भाद्र 11, 1931

No. 1369]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2009/BHADRA 11, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2009

का.आ. 2221(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेक्शन का मार्ग उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट भूखंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात् :—

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	सेक्शन	लंबाई किलोमीटर में
(1)	(2)	(3)
9	आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद से विजयवाड़ा	40.000 कि.मी. से 215.80 कि.मी. तक

[फा. सं. एनएच-14013/4/09-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2009

S.O. 2221(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch as specified in column (3) of the following Table, of the section as specified in column (2) of the said Table, of the National Highway as specified in column (1) of the aforesaid Table, to the National Highways Authority of India, namely :—

TABLE

National Highway Number	Section	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
9	Hyderabad to Vijayawada in the State of Andhra Pradesh.	km. 40.00 to km. 215.80

[F. No. NH-14013/4/2009-P & M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2009

का.आ. 2222(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोट परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 का और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
(1)	(2)	(3)
"1.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, संख्या 9 [40.00 कि.मी. से 266.400 छोड़कर (हैदराबाद से नंदीगाम से विजयवाड़ा)], सं. 16 [205.0 कि.मी. से 235.0	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार।"

(1)	(2)	(3)
	कि.मी. को छोड़कर (चेन्नूर से अर्जुनगुट्टा)], सं. 18 [167.750 कि.मी. से 356.502 कि.मी. को छोड़कर (कडप्पा से कुरनूल)], सं. 43 सं. 63, सं. 2002, सं. 205, सं. 214 और सं. 214क, सं. 219, सं. 221 और सं. 222 आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।	

[फा. सं. एनएच-14013/4/09-पी एंड एम]
प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना, भारत सरकार के राजपत्र में
सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005
द्वारा प्रकाशित की गई और अंतिम संशोधन
सं. का.आ. 1291(अ), तारीख 20 मई, 2009
द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2009

S.O. 2222(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) notification number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Sl. No.	Description of National Highway	Name of State Government
(1)	(2)	(3)
"1.	So much of National Highways No. 4, No. 9 [excluding from km. 40.000 to km. 266.400 (from Hyderabad to Nandigama to Vijayawada)], No. 16 [excluding from Km. 205.0 to km. 235.0 (from Chennur to Arjungutta)], No. 18 [excluding from km. 167.750 to km. 356.502 (Kadapa to Kurnool)], No. 43, No. 63, No. 202, No. 205, No. 214 and No. 214 A, No. 219, No. 221 and No. 222 as are situated within the State of Andhra Pradesh.	State Government of Andhra Pradesh".

[F. No. NH-14013/4/2009/P & M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Footnote :—The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1291(E), dated the 20th May, 2009.